

FORM No. III

APP-A
crim-I


फर्द अहकाम (नियम 26)

2022/95

अज अदालत - राजंस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम - सवाई माधोपुर

नारायण बनाम दिनेश चंद

किस्म मुकदमा 225 R + n मुकदमा नं. 53/2022/

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------------------------|---|--|
| 30 ⁰⁸ / ₂₂ | <p>अपीलांत अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांत अधिवक्ता को अपील के एडमिशन पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलांत अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 17/22 उनवानी दिनेश चंद बनाम नारायण लाल मे दिनांक 02.03.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 05.4.22 तक जारी की गई थी। जिसके पश्चात पत्रावली गत आदेशानुसार तारीखो पर नियत की जाती रही है। चूकि: अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है। जिसके निस्तारण का श्रवणाधिकार इस न्यायालय मे निहित नहीं है। इस प्रकार अपीलांत की अपील श्रवणाधिकार क्षेत्र से बाहर होने से एडमिशन स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है। पत्रावली मे आवश्यक कार्यवाही कर दाखिल रिकार्ड होवे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।</p> <p> राजंस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर</p> | |